न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमाक निगरानी 3836--दा / 12 विरूद्ध आदेश दिनाक 28--9-12 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 568 / 2009--10 / निगरानी

1-- मुन्ना ढीमर
2-- वीरन ढीमर
पुत्रगण भैयालाल ढीमर
ग्राम सिरसोरा
तहसील मुगावली जिला अशोकनगर ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1-- म.प्र. शासन
2-- जहार सिंह पुत्र खिलन सिंह सहरिया
ग्राम सिरसौरा तहसील मुंगावली,
जिला अशोकनगर म.प्र ------ अनावेदकगण

श्री जी. पी. नायक, अधिवक्ता, आवेदकगण
श्री के. के द्विवेदी, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक - 2

:: आदेश ::

(आज दिनांक ०५-०६-१५ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमाक 568 / 2009--10 / निगरानी में पारित आदेश दिनाक 28--9-12 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व सहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत पेश की गई है ।

2-- प्रकरण के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार हैं कि तहसील मुगावी के ग्राम सिरसौरा म विवादित भूमि सर्वे नं 86 रकबा 4.462 हैक्टर मे से रकबा 1.532 हैक्टर का पट्टा विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र. 2 के हक मे किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिसमें उन्होंने दिनाक 31-10-01 को आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया तथा प्रकरण पुन: विज्ञप्ति जारी कर नियमानुसार पात्र व्यक्ति को भूमि वटन की कार्यवाही के लिए प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

मे निगरानी पेष की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एव विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि एस.डी.ओ मुंगावली द्वारा अनावेदक क. 2 का पट्टा निरस्त कर भूमि शासकीय घोषित कर दी तदुपरांत नायब तहसीलदार ने 30.6.04 से भूमि सर्वे नं. 86/1 में से रकबा 1.532 हैक्टर को आवेदकगण के हित में म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विषेष उपबंध) अधिनिकयम, 1984 के तहत व्यवस्थापित की गई । इस तथ्य को अनदेखा कर अपर आयुक्त ने अनावेदक क. 2 का पट्टा बहाल करने मे त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि एस.डी.ओ के आदेष दिनांक 31.10.01 के विरूद्ध अनावेदक क. 2 ने अपर आयुक्त न्यायालय में वर्ष 2009 मे 8 वर्ष उपरांत अवधि बाह्य अपील की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन होते हुए भी अपर आयुक्त ने स्वीकार कर त्रुटि की है । विवादित भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 6718/2012 में 18–9–12 को स्थगन दिया गया था, जिसकी सूचना आवेदकों ने अपर आयुक्त को दी थी, अपर आयुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेष को अनदेखा कर आदेष पारित किया गया है । उक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध आवेदक अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

4– अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेष को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एव अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि के वंटन के संबंध में है । अपर आयुक्त ने अपने आलोच्य आदेश द्वारा यह पाया है कि अनावेदक अपने पिता से अलग होकर 30 वर्षों से अलग रह रहा है और उसके नाम जो भूमि वटित की गई है वह नियमानुसार भूमि वंटन की कार्यवाही मे समस्त प्रकियाओं का पालन हुआ है । अनावेदक का यह कहना कि उनके समक्ष प्रत्यर्थी को वृक्षारोपण के लिए भूमि दी गई थी और आलोच्य भूमि उसके आधिपत्य में है और जो वृक्ष आदि है वे उनके द्वारा लगाए गए है, के संबंध में अपर आयुक्त ने यह पाया है कि अभिलेख के अनुसार वे इस संबंध मे अपने तर्कों की पुष्टि मे कोई साक्ष्य, पट्टा आदि प्रस्तुत नहीं कर सके है और इस आधार पर उन्होंने उसकी आपत्ति को अमान्य करते हुए आलोच्य भूमि के वंटन को यथावत रखा है । अपर आयुक्त

का यह आदेश न्यायिक पांकेया के अनुकूल होकर अभिलेख पर आधारित है और उसमे ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नही है, जिस कारण उसमे हस्तक्षेप किया जाये ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर